प्रेषक,

शैलोज चन्द्रा,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, भदोही-ज्ञानपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर।

विषय:- दिनांक 14.10.2022 को भूखण्ड क्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में दिये गये आवेदन पर दूसरी बार की गयी आपत्ति के संदर्भ में।

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 14.10.2022 को प्रश्नगत भूखण्ड क्रय करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय से अनुमित के लिए प्रस्तुत किया गया था जिस पर दो आपित्त पूर्व में की गयी थी, जिनका निराकरण दिनांक 05.11.2022 को किया जा चुका है। पुनः दो आपित्त एडिमन -4 के स्तर पर की गयी, जिसमें एप्रीमेंट डीड प्रपोज्ड प्लाट क्रय करने के सम्बन्ध में मांगी गयी है। साथ ही मासिक कुल आय तथा प्राप्त आय/ कैश इन हैण्ड मांगी गयी है।

महोदय माननीय न्यायालय की अनुमित के बिना किसी भी अचल सम्पित्त को क्रय नहीं किया जा सकता है। इसलिए बिना अनुमित के एग्रीमेंट भी नहीं कराया गया है। इसलिए एग्रीमेंट डीड प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। शीघ्र अनुमित की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रश्नगत भूखण्ड क्रय करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

(शैलोज चन्द्रा)

दिनांक 14.11.2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1,भदोही ज्ञानपुर।

संलग्नक-

- 1. माह अक्टूबर 2022 पेय बिल की छायाप्रति ।
- 2. वर्ष 2021-22 में कुल वेतन व प्राप्त वेतन विवरण की छायाप्रति।